न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मिसल न0: 01/निगरानी/24

उनवान

तहसीलदार तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान द्वारा अब्दुल हफीज आत्मज अब्दुल हमीद हाल तहसीलदार पचपहाड़ — निगरानीकार

बनाम

01. सरपंच ग्राम पंचायत पगारिया तहसील पचपहाड़,झालावाड़
02. सचिव ग्राम पंचायत पगारिया तहसील पचपहाड़,झालावाड़ — गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत राजस्थान पंचायती अधिनियम बाबत निरस्त करने रेस्पो0 द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 79993 दिनांक 20.06.2023 एवं ख0 नं0 848 का पट्टा जारी करने।

उपस्थितः श्री अब्दुल हफीज तहसीलदार पचपहाड़ निगरानीकार
श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक गैर निगरानीकार

–: निर्णय :– दिनांकः 07.05.2024

यह निगरानी तहसीलदार तहसील पचपहाड़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गैरनिगरानीकार/रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जारी पट्टा 79993 दिनांक 20.06.2023 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है।

ग्राम पगारिया में पटवार घर खसरा नं0 848 रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि जो गैर मु0 आबादी भूमि है पर बना हुआ है एवं जिसे अरसा लगभग 50 वर्षों से अधिक हो चुका था जिसे राजस्थान सरकार के राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार आवंटित बजट द्वारा बनवाया गया था जो पटवार घर के काम आ रहा था। उक्त पटवार घर की समय–समय पर सरकार द्वारा मरम्मत करवाई गई तथा ग्राम पंचायत ने अपनी विभिन्न कार्यवाहियों में पटवार घर मोजूद होना माना है, इस सम्बंध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30/07/2023 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी को दिये पत्र में भी स्वीकारोक्ति दे रखी है कि पटवार घर खसरा नं0 848 में स्थित रहा है तथा उस पर कब्जा विगत 50 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर प्रार्थी निगरानीकार का रहा है। अक्टूबर 2023 में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खसरा नं0 848 में स्थित पटवार घर को गिरा दिया गया जिसके सम्बंध में थाना पगारिया में एफआईआर नं0 105/2023 दर्ज हुई तथा न्यायालय ए0सी0जे0एम0 में एफ0आर0 पेश की, जिस पर प्रोटेस्ट लगा रखी है। पुलिस थाना पगारिया द्वारा अपनी जॉच में पटवार घर मौजूद होना तथा उसको गिराने के तथ्य को प्रमाणित माना है।

महंगाई राहत शिविर कैम्प ग्राम पंचायत पगारिया दिनांक 24.04.2023 को ग्राम पगारिया के पटवार घर का पट्टा जारी करने हेतु तत्कालीन शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया। पट्टा खसरा नं0 848 रकबा 0.0885 हेक्टेयर वाके ग्राम पंचायत पगारिया की भूमि स्थित पटवार घर के सम्बंध में चाहा गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके खसरा नं0 1725/2 की भूमि पर दिनांक 20.06.2023 को पट्टा क्रमांक 79993 जारी किया गया जो कि मौके की स्थिति से पूर्ण रूप से भिन्न,गलत एवं विधि के अनुरूप नही होने से निरस्त होने योग्य है। निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि गैरनिगरानीकार द्वारा दिनांक 20.06.2023 को जारी पट्टा क्रमांक 79993 निरस्त कर खसरा नं0 848 गैर मु0 आबादी रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि पर पट्टा जारी करने के आदेश गेरनिगरानीकार को दिया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार सरपंच ग्राम पंचायत पगारिया व सचिव ग्राम पंचायत पगारिया को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर निगरानीकार की तरफ से वकील श्री विजय कुमार जैन द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा दिनांक 02.05.2024 को निगरानी का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा निगरानी से सम्बंधित मूल पत्रावली ग्राम पंचायत पगारिया से तलब की जाकर प्रकरण वास्ते अंतिम बहस दिनांक 06.05.2024 को रखा गया।

जिला कलक्टर झालावाड़

3

पत्रावली में गैरनिगरानीकार वकील की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत पगारिया से प्राप्त मूल पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। वकील गैरनिगरानीकार ने अपने जवाब एवं बहस में बताया कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 161 के तहत मेजर डिस्ट्रिक रोड से 75 फिट एवं विलेज रोड से 55 फिट तक किसी जमीन का पट्‌टा नहीं दिया जा सकता है व वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण पटवार घर से एकदम सटा डामर रोड व चेकर रोड़ बना हुआ है जहां नियमानुसार भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है इसलिए रेस्पोंडेण्ट द्वारा खसरा नं0 848 पर नियमानुसार पट्‌टा जारी न कर पाने पर, वेकल्पिक रूप से उपयुक्त स्थल पर खसरा नं0 1725/2 की भूमि पर पट्‌टा जारी किया गया है जो न केवल पटवार घर हेतु उपयुक्त स्थल है बल्कि आमजन के लिए भी सुविधाजनक स्थल है जो राज्यहित में है। निगरानीकार तहसीलदार पचपहाड़ ने निगरानी के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर बताया कि विवादास्पद पटवार घर पर लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से खसरा नं0 848 पर बना हुआ है जिसकी स्वीकारोक्ति ग्राम पंचायत पगारिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी को जारी अपने पत्र में की गई है जिसकी समय समय पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आवंटित बजट से मरम्मत करवाई गई है जिससे विवादग्रस्त पटवार घर पर राजस्व विभाग का प्रथम दृष्टतया कब्जा साबित होता है तथा कब्जानुसार ही सम्बंधित पटवार हल्का पगारिया द्वारा दिनांक 24.04.2023 प्रशासन गांव के संग अभियान में केम्प प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र खसरा नं0 848 रकबा 0.0885 हैक्टेयर किश्म गै0मु0 आबादी में स्थित पटवार घर के पक्ष में पट्‌टा जारी करने को पेश किया किया गया जिसे शिविर प्रभारी ने विकास अधिकारी भवानीमण्डी को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अग्रेषित किया तथा पंचायत द्वारा दिनांक 20.06.2023 को खसरा नं0 848 के स्थान पर खसरा नं0 1725/2 में 35 गुणा 30 फिट बराबर 1035 वर्गफिट का पट्‌टा नं0 79993 जारी किया गया जो दिनांक 08.02.2024 को पटवार हल्का पगारिया को दिया गया जो कब्जे से हटकर अन्य स्थान का होने से उचित नहीं है। विवादग्रस्त पटवार घर पर विगत 50 वर्षों से राजस्व विभाग का कब्जा चला आ रहा है तथा ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत पगारिया ने भी अपने कार्यवाही प्रस्ताव में भी पटवार घर मोजूद होना माना है और इसी आधार पर ग्राम पंचायत पगारिया द्वारा खसरा नं0 848 के पक्ष में पटवार घर के नाम से पट्‌टा जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया जो विधि एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है अतः निगरानीकार की निगरानी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है तथा वैकल्पिक तौर पर जारी किया गया खसरा नं0 1725/2 में स्थित पट्‌टा नं0 79993 दिनांक 20.06.2023 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाती है कि तथा ग्राम पंचायत पगारिया द्वारा खसरा नं0 1725/2 में स्थित पट्‌टा नं0 79993 दिनांक 20.06.2023 निरस्त किया जाता है साथ ही रेस्पोंडेण्ट्स/ गेरनिगरानीकार सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत पगारिया को आदेशित किया जाता है कि पटवार घर पगारिया के पक्ष में खसरा नं0 848 किश्म गे0मु0 आबादी जहां पूर्व में पटवार घर मूल रूप से स्थित था उसी जगह पर 35 गुणा 30 फिट बराबर 1035 का पट्‌टा जारी करे। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

7/05

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़